27.10.23

पत्रावली प्रार्थीगण । से 3 उपस्थित होकर प्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रार्थना पत्र विड्रो का पेश किए जाने से सिगाह से तलब होकर पेश हुई प्रार्थना पत्र का मूल वाद वादीगण द्वारा विड्रो किए जाने के एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र विड्रो का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र विड्रो करने की स्वीकृति दी जाती है। प्रकरण में प्रस्तुत निम्नलिखित किए समस्त प्रार्थना पत्र बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के निस्तारित किए जाते है। मूल वाद विड्रो किए जाने से अब इस प्रार्थना पत्र में ~~प्रकरण में दिनांक~~ कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

प्रतिभा वर्मा

IAS

उपखण्ड अधिकारी

गिर्वा, उदयपुर